राजस्थान सरकार

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक: F. 23(32)pari/pari/PC/CAQM & SE/2020-02814 10144 जयपुर, दिनांक: 29.07.2026

कार्यालय आदेश सं. 06/2026

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के लिये वाहन एग्रीगेटर, (Vehicle Aggregator) डिलीवरी सेवा प्रदाता (Delivery Service Provider) व ई–कॉमर्स ईकाइयों (E-Commerce Entitioes) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में स्वच्छ गतिशीलता (क्लीनर मोबिलिटी) को तेजी से बढ़वा देने हेतु वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा निर्देश नं. 94 जारी किये गये थे। उक्त निर्देशों की पालना में विभाग द्वारा एक एग्रीगेटर पोर्टल विकसित किया गया है। राज्य में अनुमति प्राप्त वाहन एग्रीगेटर, डिलीवरी सेवा प्रदाता व ई–कॉमर्स ईकाइयों व इनके द्वारा उपयोग में लिये जा रहे वाहनों का इन्द्राज पोर्टल पर CAQM के निम्न निर्देशानुसार किया जाना है:–

Henceforth, only CNG / Electric 3-Wheeler Autorickshaws shall be additionally inducted in thc existing fleet of vehicles.

No conventional ICII vchicles running purely on diesel or petrol shall be inducted in the existing fleet of 4-wheeler l,cvs, 4-wheeler LGVs (N1 category - up to 3.5 Ton) and 2-wheelers with effect from 01.01 .2026:

Provided that induction of BS-VI emission standard 2-Wheelers shall be permitted in the existing fleet up to 31.12.2026.

उपरोक्त के क्रम में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है।

1. एग्रीगेटर नीति के अनुसार एग्रीगेटर को सक्षम प्राधिकारी से लाईसेंस से प्राप्त करना होगा।
2. लाईसेंस धारक एग्रीगेटर एवं उनके वाहनो का विवरण पोर्टल पर सम्बन्धित अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के द्वारा किया जायेगा। इस हेतु सम्बन्धित अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।
3. प्रवर्तन कार्यवाही का दायित्व सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी को होगा।
4. एग्रीगेटर नीति में आवश्यक परिवर्तन करन का दायित्व नियम शाखा, मुख्यालय का होगा।
5. एग्रीगेटर नीति एवं इससे सम्बन्धित आदेशानुसार पोर्टल को विकसित करने का दायित्व आई.टी. शाखा का होगा।

वर्तमान में कार्यरत एग्रीगेटर एवं उनके वाहनों का विवरण पोर्टल पर आगामी 15 दिवस में दर्ज कर रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित की जावें।

(पुरूषोत्तम शर्मा)
आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा

Digitally signed by PURUSOTTAM SHARMA
Designation: Commissioner
Date: 2026-07-28 15:00:04 IST

RajKaj Ref No.: 23610614

v-1.0